रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3 Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 1, 1973/माघ 12, 1894

No. 21] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 1, 1973/MAGHA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st February 1973

G.S.R. 40(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby appoints the date of publication of this notification in the Official Gazette as the date on which the said Act shall come into force in the State of Bihar.

[No. F. 11014/3/72-FRY/WLF.]

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1973

सा० का० नि० 40 (अ).—वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को ऐसी तारीख नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम बिहार राज्यों में प्रवृत्त होगा।

[सं० फा० 11014/3/72—एफ० आर० वाई० (वन्य० एल० एफ०)]

THE WILD LIFE PROTECTION CENTRAL RULES, 1973

G.S.R. 41(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Wild Life (Stock Declaration) Central Rules, 1973.

(2) They shall come into force in the State of Bihar on 1/2/73 and in other States and Union territories on such date as the Central Government may by notification, appoint and different dates may be appointed for different States and Union territories.

2. **Declaration by manufacturer of, dealer or taxidermist in, animal article, etc.**—Every manufacturer of, or dealer in, animal article or every dealer in captive animals, trophies or uncurred trophies or every taxidermist shall, within fifteen days from the commencement of the Wild Life (Protection) Act, 1972, declare his stocks of animal articles, captive animals, trophies and uncurred trophies, as the case may be, as on the date of such declaration to the Chief Wild Life Warden in the form given below.

FORM

[*See* sub-section (2) of section 44]

FORM OF DECLARATION

To

The Chief Wild Life Warden,

State or Union territory of ....

1. Full name and address of the manufacturer/dealer/taxidermist making the declaration.
2. Actual stock held on the date of declaration in animal articles.
   (i) Description including name of animal from which derived.
   (ii) Number.
   (iii) Dimension or weight.
   (iv) Premises where kept.
3. Actual stock held on the date of declaration in captive animals.
   (i) Species and sex.
   (ii) Number.
   (iii) Adult or Juvenile.
   (iv) Premises where kept.
4. Actual stock held on the date of declaration in trophies.
   (i) Description including specie of animal.
   (ii) Number.
   (iii) Dimension or weight.
   (iv) Premises where kept.
5. Actual stock held on the date of declaration in uncurred trophies.
   (i) Description including specie of animal.
   (ii) Number.
   (iii) Dimension or weight.
   (iv) Premises where kept.
6. Remarks if any.

I do hereby declare that the information given above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of the person making declaration.

Date ....

Place ....

[No. F. 11014/5/72-FRY/WLF.]

RANJITSINH, Dy. Secy.

वन्य प्राणी संरक्षण केन्द्रीय नियम, 1973

जी० एस० आर०--41 (अ).--वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (i) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ --(1) इन नियमों का नाम वन्य प्राणी (स्टॉक घोषणा) केन्द्रीय नियम, 1973 है ।

(2) ये बिहार राज्य में 1-2-1973 को और अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी तारीख को, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे प्रवृत्त होंगे और भिन्न भिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2. जान्तव-वस्तु, आदि के विनिर्माता, व्यापारी या चर्मसंस्कर्त्ता द्वारा घोषणा .--जान्तव-वस्तुओं का प्रत्येक विनिर्माता या व्यापारी अथवा पकड़े गए पशुओं, चर्वणांगों (ट्राफीज) या असंसाधित चर्वणांगों का प्रत्येक व्यापारी अथवा प्रत्येक चर्मसंस्कर्त्ता, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ से पन्द्रह दिन के भीतर, मुख्य वन्य-प्राणी वार्डेन को, यथास्थिति जान्तव-वस्तुओं, पकड़े गए पशुओं चर्वणांगों और असंसाधित चर्वणांगों के अपने स्टाक की घोषणा, जो ऐसी घोषणा की तारीख तक के हों, नीचे दिए गए प्रारूप में करेगा ।

प्ररूप

[धारा 44 की उपधारा (2) देखिए]

घोषणा का प्रारूप

सेवा में,

मुख्य वन्य प्राणी वार्डेन,

---राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ।

1. घोषणा करने वाले विनिर्माता/व्यापारी/चर्मसंस्कर्त्ता का पूरा नाम और पता ।

2. जान्तव-वस्तुओं का, घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टाक--

(1) वर्णन, जिसमें उस पशु का, जिससे प्राप्त हुआ है, नाम सम्मिलित हो ।

(2) संख्या ।

(3) खिमा या भार ।

(4) परिसर, जहां रखा गया हो ।

3. पकड़े गए पशुओं की घोषणा की तारीख को धारित् वास्तविक स्टाक ।

(1) जाति और लिंग ।

(2) संख्या ।

(3) वयस्क या किशोर ।

(4) परिसर, जहां रखा गया हो ।

4. चर्मणागों का, घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टाक।

(1) वर्णन, जिसमें पशु की जाति सम्मिलित हो।

(2) संख्या।

(3) विमा या भार।

(4) परिसर, जहां रखा गया हो।

5. असंसाधित चर्मणागों का, घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टाक।

(1) वर्णन, जिसमें पशु की जाति सम्मिलित हो।

(2) संख्या।

(3) विमा या भार।

(4) परिसर, जहां रखा गया हो।

6. टिप्पणियां, यदि कोई हों।

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर।

तारीख——————

स्थान——————

[सं० फा० 11014/5/72—एफ आर वाई (डब्ल्यू एल एफ)]

रणजीत सिंह,

उप सचिव,।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973